नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु वार्ड आरक्षण संपन्न

रायगढ़ नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों के वार्डों के लिए आरक्षण प्रक्रिया की गई पूरी

रायगढ़

कलेक्ट्रेट के सृजन सभाकक्ष में 19 दिसम्बर की शाम रायगढ़ के सभी नगरीय निकायों के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में पूरी की गई। जिसमें रायगढ़ नगर निगम सहित नगर पालिका खरसिया व जिले के सभी नगर पंचायतों-घरघोड़ा, धरमजयगढ़, लैलूंगा, किरोड़ीमल नगर एवं पुसौर नगर पंचायत के लिए लॉटरी के माध्यम से आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस दौरान आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय, एसडीएम धरमजयगढ़ डिगेश पटेल, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, एसडीएम घरघोड़ा रमेश मोर, एसडीएम लैलूंगा अक्षा गुप्ता, उपायुक्त नगर निगम सुतीक्षण यादव सहित जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। आरक्षण प्रक्रिया के अनुसार वार्डो में आरक्षण इस प्रकार रहेगा।

नगर निगम रायगढ़

अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-4, 11, 33, 36 एवं 38, अनुसूचित जाति (महिला) के लिए वार्ड क्रमांक-29, 31, 37, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-3, 5, 46, अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए वार्ड क्रमांक-41, 47, अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-1, 16, 17, 18, 23, 27, 42, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-8, 14, 22, 39 तथा अनारक्षित वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-2, 6, 25, 26, 35, 40 एवं 44 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

नगर पालिका परिषद खरसिया- अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-10, अनुसूचित जाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-4, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-9, अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-6, 7, 8, 16, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिए वार्ड क्रमांक 3, 14 तथा महिला वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक-1, 2 एवं 18 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

नगर पंचायत घरघोड़ा

अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-7, अनुसूचित जाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-4, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-1, 3, 14, अनुसूचित जनजाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-12, अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-6 तथा अनारक्षित वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-8, 11 एवं 13 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

नगर पंचायत लैलूंगा

अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-1, अनुसूचित जाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-8, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-5, 12, 15, अनुसूचित जनजाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-6, 11 तथा अनारक्षित वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-3 एवं 4 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

नगर पंचायत पुसौर

अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-14, अनुसूचित जाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-12, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-6, अनुसूचित जनजाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-7, अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-4, 10, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक 3 तथा अनारक्षित वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-8 एवं 9 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

नगर पंचायत धरमजयगढ़

अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-6, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-13, 15, 8, अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए वार्ड क्रमांक-3, 9, अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-11 तथा महिला वर्ग के लिए वार्ड क्रमांक 1, 2 एवं 5 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर- अनुसूचित जाति (मुक्त) के लिए वार्ड क्रमांक-10, अनुसूचित जाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-14, अनुसूचित जनजाति (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-15, अनुसूचित जनजाति (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-11, अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)के लिए वार्ड क्रमांक-1, 8, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक 12 तथा अनारक्षित वर्ग (महिला)के लिए वार्ड क्रमांक-4 एवं 13 आरक्षित हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी वार्ड अनारक्षित वर्ग (मुक्त) रहेंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

एनआईए ने तीन जगहों पर मारा छापा

बीजापुर-रायपुर (आरएनएस)। जिले में 3 अलग-अलग जगहों पर आज गुरुवार की सुबह एनआईए ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि एनआईए को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों का नक्सलियों से कनेक्शन है। ऐसे में सुबह से ही एनआईए की 3 टीम 3 अलग-अलग जगह छापा मारने पहुंची है। फिलहाल मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के मुताबिक, एनआईए की टीम आज सुबह करीब साढ़े 5 बजे एनआईए की टीम जिले के भैरमगढ़, आवापल्ली और तर्रेम पहुंची। जहां कुछ लोगों के घरों में छापा मार दिया है। उनसे पूछताछ किया जा रहा है। इससे पहले एनआईए की टीम ने नक्सल मामले में ही जिले से नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को पकड़ा था। उनसे पूछताछ में कई खुलासे हुए है। उसी के आधार पर आज छापा मारा गया है। दरअसल, एनआईए की टीम ने करीब सप्ताहभर पहले सुकमा जिले में भी छापा मारा था। नक्सल मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी किया था। इसके अलावा सुकमा से लगे पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरि में भी छापेमार कार्रवाई की गई थी।

जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी के संकेत

रायपुर (आरएनएस)। कांग्रेस में जल्द ही जोगी परिवार की वापसी हो सकती है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर विलय का प्रस्ताव भेजा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की गठित पार्टी की विचारधारा कांग्रेस की है। पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पार्टी का कांग्रेस में विलय हो। सभी पदाधिकारी और सदस्य कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते हैं। डॉ. रेणु जोगी ने प्रवेश कराने का अनुरोध किया है। बताते चलें कि जोगी परिवार की कांग्रेस में वापसी के प्रयास कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की ओर से समिति गठित करते ही शुरू हो गई थी। विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले कुछ नेता पार्टी छोडक़र भाजपा में शामिल हो गए थे। कुछ को पार्टी के खिलाफ काम करने पर हटाया गया था।

नर हाथी जंगल में मृत अवस्था में मिला

बलरामपुर-रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में एक नर हाथी जंगल में मृत अवस्था में पाया गया है. हाथी का शव छतवा हरीहरपुर रोड के पास जंगल में मिला है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुट गई है. डीएफओ सहित बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घटना स्थल पर मौजूद हैं और मामले की जांच कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मेंढका डोबरा मंदिर परिसर में परिणय सूत्र में बंधे 220 जोड़े

- जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों ने नव-वर वधुओं को दिया आर्शीवाद
- निर्धन परिवारों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है सरकार
- नव दंपतियों के बैंक खातों में होगा 35 हजार राशि का अन्तरण

दंतेवाड़ा | आरएनएस

मुख्यालय के मेंढका डोबरा मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिलेभर के 220 वर वधु परिणय सूत्र में बंध गए। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नव दंपतियों को भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने शुभकामना संबोधन में कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर निर्धन परिवारों को विकास की ओर अग्रसर होने का अवसर मिल रहा है। दंतेवाड़ा जिले के दूरस्थ क्षेत्र में यह सामूहिक कन्या विवाह में आज 220 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन में कदम रख रहे हैं। यह सब राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से फलीभूत हुआ है, जो सरकार की गरीब परिवारों की सेवा करने की कटिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग के मैदानी कर्मचारी भी बधाई के पात्र है जिन्होंने विभिन्न ग्रामों पारा, टोले, मोहल्लों से विवाह योग्य युवक युवतियों का पंजीयन कर सामूहिक विवाह से लाभान्वित किया।

कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार एवं सप्तपदी के पावन वचनों को अंगीकार करने वाले जोड़ों में से दो जोड़े नियद नेल्लानार ग्राम धुरली के निवासी थे। इनमें सीमा भास्कर एवं सुदरी तेलाम भी शामिल थी। सीमा 10वीं पास है और नगर पालिका परिषद बड़े बचेली (झाड़ू लगाने का काम) सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है सीमा का विवाह रेमष भास्कर के साथ हुआ जो कृषक है इसी प्रकार सुंदरी तेलाम कामगार श्रमिक है। और सुंदरी और धन्नु कुंजाम कामगार श्रमिक है। दोनों नव विवाहितों में शासन की इस योजना की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसे निर्धन वर्गों के लिए उपयोगी बताया जो विवाह के भारी खर्चे से निम्न वर्गीय परिवारों को चिंता मुक्त करती है।

उल्लेखनीय है कि आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में तीन जोड़े ईसाई धर्म से संबंधित थे। जिनका उनके धर्म अनुरूप परम्परा से विवाह संपन्न हुआ। विवाह योजनान्तर्गत सभी नव वर वधुओं के बैंक खाते में 35 हजार रुपये की राशि का अंतरण भी किया गया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर, जिला पंचायत सदस्य रामू राम नेताम, नगर पालिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सहित जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, महिला बाल विकास अधिकारी वरुण नागेश, एवं राजेश टंडन सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ फिल्म लोक कला एवं मिनी थियेटर सहकारी समिति मर्यादित का हुआ गठन

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य एवं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माण के लिए अभी तक कलाकारों के हित में कोई प्रभावी कदम शासन अथवा निजी स्तर पर नहीं उठाए गये हैं जिसके चलते कलाकारों को आर्थिक अभावों के कारण जर्जर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। छग प्रदेश में 50 हजार से भी अधिक लोक कलाकारों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप मंच उपलब्ध कराने एवं उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छग फिल्म लोक कला एवं मिनी थियेटर सहकारी समिति मर्यादित का गठन किया गया है। उक्त जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में सहकारी समिति के संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष अमित परगनिहा अध्यक्ष रायपुर संभाग एवं बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष माधव चंद्राकर ने संयुक्त रूप से दी। पत्रकार वार्ता ने अमित ने बताया कि अभी मुंगेली जिले में स्थापना हुई है। प्रदेश संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत कलाकारों को भी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा। पंजीयन शुल्क 5 सौ रुपये एवं सदस्यता शुल्क सिर्फ 50 रुपये कलाकारों को एक बार ही देना होगा। पांच संभागों में अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन हो चुका है।

जानबूझकर गाय को गाड़ी से टक्कर मारने वाला वाहन चालक गिरफ्तार

कवर्धा | आरएनएस

सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में जानबूझकर गाय को अपनी चारपहिया वाहन से टक्कर मारने वाले वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने सहसपुर लोहारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम सिंगारपुर में रिश्तेदारी में आया था। दोपहर 12:30 बजे अपनी मोटर साइकिल को ईश्वर साहू के घर के सामने खड़ा कर घर में प्रवेश कर रहा था। उसी समय ग्राम सिल्हाटी की ओर से आ रहे एक माजदा वाहन के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए प्रार्थी की मोटर साइकिल को ठोकर मार दी। इसके साथ ही चालक ने रोड किनारे खुटे में बंधी ईश्वर साहू की गाय को जानबूझकर वाहन से कुचल दिया, जिससे गाय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सहसपुर लोहरा में आरोपी के खिलाफ धारा धारा 281, 325 बीएनएस तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4/10, पशुओं के प्रति क्रूरताका निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान, वाहन चालक गौरव सोनवानी पिता अरुण सोनवानी (उम्र 27 वर्ष), निवासी खैरी, थाना कमलेश्वर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया।

नकली उर्वरक खान बनाने वाला फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजनांदगांव-रायपुर | आरएनएस

दिनांक- 06.07.2023 को प्रार्थी जीवन लाल चन्द्रवंशी पिता कृष्ण कुमार चन्द्रवंशी पिता कृष्ण कुमार चन्द्रवंशी उम्र- 42 साल साकिन वार्ड न0- 01, थाना थाना डोंगरगढ़ जिला छ0ग0 कृषि विकास अधिकारी सह उर्वरक निरीक्षक विकासखण्ड डोंगरगढ़ के द्वारा थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक- 06.07.2024 के शाम 04:00 बजे आरोपी सुजीत धूत पिता प्रहलाद धूत उम्र- 55 साल साकिन ग्राम मरोडी तहसील अकोला जिला अकोला महा0 एवं श्रुति त्रिवेदी पति मनुराज उम्र- 44 साल साकिन बधियाटोला डोंगरगढ़ के द्वारा मनीष राठी निवासी डोंगरगढ़ के मकान में बीना अनुमति के एवं बिना लायसेंस के उर्वरक खाद का निर्माण किया जा रहा है जो कि छ0ग0 में वैध नहीं है एवं आरोपी के कब्जे से 1921 किलो नकली उर्वरक खाद को जप्त किया गया है कि रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक-431/2023 धारा- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा- 3, 7 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान आरोपिया श्रुति त्रिवेदी को दिनांक- 07.10.2023 को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन प्रकरण के मुख्य आरोपी सुजीत धूत अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से लगातार फरार चल रहा था जिसकी पता तलाश हेतु थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अति0पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम से दिशा'- निर्देश प्राप्त कर सायबर सेल राजनांदगांव एवं थाना डोंगरगढ़ से टीम तैयार कर आरोपी के पता तलाश हेतु महा0 टीम रवाना किया गया जिस पर गठित टीम द्वारा जिला अकोला महा0 के थाना खदान पंहूचकर आरोपी के दिये पते पर जाकर रेड कार्यवाही कर आरोपी सुजीत धूत के पकड़े आरोपी पुलिस के गिरफ्तार के डर से छुपे हुये थे। आरोपी सुजीत धूत पिता प्रहलाद धूत जाति माहेश्वरी उम्र- 55 साल साकिन मरोडी वार्ड क्र0- 2, थाना बोरगांव मंजू तहसील अकोला, जिला अकोला महा0 हाल- फ्लैट न0- 302 गणेशा रेसीडेंसी गिरी नगर गौरक्षण रोड थाना खदान जिला अकोला महा0 से अवैध रूप से उर्वरक खाद बनाने के संबंध में पुछताछ किया जो को वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जिस पर आरोपी को दिनांक- 19.12.2024 को गिरफ्तार कर मान0 न्याया0 में पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, निरीक्षक योगेश पटेल, आरक्षक कमल निषाद एवं सायबर सेल राजनांदगांव से प्र0आर0- बसंतराव एवं आरक्षक आदित्य सिंह का विशेष योगदान रहा है।

दोपहिया वाहन चोरी करने वाला नाबालिग गिरफ्तार

- थाना गुढियारी क्षेत्र के अलग - अलग स्थानों से तीन एक्टिवा की थी चोरी

रायपुर(आरएनएस)। रायपुर पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया है। नाबालिग ने गुढियारी थानाक्षेत्र के तीन अलग-अलग स्थानों से एक्टिवा वाहन चोरी किया था।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अमित अग्रवाल ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 02.10.2024 को रात्रि 10:30 बजे अपनी होण्डा एक्टीवा क्रमांक सी जी/04/ पी एस/3433 को गोयल ट्रेडर्स के सामने पडाव गुढियारी में खडी किया था। प्रार्थी दिनांक 03.10.2024 के सुबह देखा तो उक्त एक्टिवा वाहन नहीं था, कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना गुढियारी में धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी गुढ़ियारी के नेतृत्व में थाना गुढ़ियारी पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लागों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को सूचना प्राप्त हुई कि थाना गुढ़ियारी क्षेत्रांतर्गत स्थित खालबाड़ा में एक लडक़ा अपने पास एक्टिवा वाहन रखा जिसे बिक्री करने की फिराक में है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा उक्त स्थान पर जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के लडक़े व वाहन को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। लडक़ा विधि के साथ संघर्षरत बालक है, जिससे एक्टिवा वाहन के संबंध में पूछताछ करने व कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया गया जा रहा था, कि पुन: कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा वाहन को पड़ाव गुढियारी से चोरी करना बताया गया। चोरी की अन्य वाहनों के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा थाना गुढियारी क्षेत्र से ही अन्य 02 नग एक्टिवा चोरी करना भी बताया गया, जिस पर चोरी की दोनों वाहनों पर थाना गुढियारी में धारा 303(2) बी.एन.एस. एवं 811/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध है।

नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से ठगे लाखों रुपए, दो गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

प्रार्थिया मोनिका मिर्धा ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मूलत: ग्राम सांकरा जिला महासमुंद की निवासी है तथा वर्तमान मे मौली पारा ताज चौक तेलीबांधा रायपुर में रहती है एवं वर्तमान में बेरोजगार है। प्रार्थिया जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक दुबे कालोनी मोवा रायपुर में किराये के मकान में रहती थी। इसी दौरान जनवरी 2024 में प्रार्थिया की पहचान कुसुम यादव से हुई थी, जो स्वयं को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अस्पताल रायपुर में स्टॉफ नर्स के पद पर कार्यरत होना बतायी थी। कुसुम यादव ने अपने परिचित हरीश पटेल के माध्यम से प्रार्थिया की सरकारी नौकरी जिला रायगढ़ के पुसौर में स्टॉफ नर्स के पद पर लगवाने का आश्वासन दिया तथा नौकरी लगवाने के नाम पर प्रार्थिया से 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपये) की मांग किये, जिस पर प्रार्थिया उनके झांसे में आकर अलग- अलग तिथियों में हरीश पटेल के खाता में कुल 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) ट्रांसफर कर दी तथा शेष रकम नौकरी लग जाने के बाद देने की बात तय हुई। दिनांक 30.03.2024 को कुसुम यादव प्रार्थिया को नियुक्ती प्रमाण पत्र दी जो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा (छ.ग.) के कार्यालय से जारी हुआ था, जिसमें दिनांक 29.05.2024 को प्रार्थिया को अपने कार्य में उपस्थित होना था। प्रार्थिया उक्त नियुक्ती प्रमाण पत्र को लेकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी विभाग जिला बलौदा बाजार भाटापारा जाकर नियुक्ती प्रमाण पत्र को दिखायी, जिस पर नियुक्ति पत्र फर्जी होना पाया गया। प्रार्थिया द्वारा कुसुम यादव एवं हरीश पटेल को इस संबंध में जानकारी देकर अपने द्वारा दिये गये पैसा को वापस मांगने पर दोनों प्रार्थिया को पैसा वापस करने का आश्वासन देते रहे, किंतु पैसा वापस नहीं दिये। कुसुम यादव एवं हरीश पटेल द्वारा प्रार्थिया को स्वास्थ विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थिया से 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) प्राप्त कर इसी प्रकार कुसुम यादव एवं हरीश पटेल द्वारा पिंकी पटेल, सुनीता पटेल निवासी दुर्गापाली सराईपाली, मनीष सिन्हा, श्रद्धाजंली प्रजापति एवं गिरजा साहू नामक व्यक्तियों को भी अलग - अलग विभागों में शासकीय नौकरी लगाने का झांसे देते हुये उनसे भी लाखों रूपये प्राप्त कर उन्हें भी फर्जी नियुक्ती प्रमाण पत्र देकर उनके साथ भी ठगी किया गया, कि प्रार्थियों की रिपोर्ट पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 361/24 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाने के साथ ही आरोपियों के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान आरोपियों की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर टीम के सदस्यों को आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी हरीश पटेल एवं कुसुम यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। प्राप्त साक्ष्यों के आधार आरोपी हरीश पटेल एवं कुसुम यादव से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा उक्त व्यक्तियों को शासकीय नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे लाखों रूपये प्राप्त कर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देना बताया गया।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU